

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/ 30899

दिनांक 27 मार्च 2020
07, 31/3, 2020

:: आदेश ::


भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

जिला कार्यालय के आदेश क्रमांक: 30670 दिनांक 26/03/2020 से निम्न कार्मिकों की ड्यूटी समय-समय पर आयोजित होने वाली विडियो कान्फ्रेंसिंग, राज्य स्तर, उच्चाधिकारियों, अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई जाने वाली सूचनाओं, प्रपत्र, प्रतिवेदन आदि तैयार करने हेतु प्रभारी कार्मिक के रूप में लगायीं जाकर यथोचित निर्देश दिये गये थे -

क्र०सं०	नाम कार्मिक एवं कार्यालय
1.	श्री सत्यप्रकाश गौड़, वरि० सहा०, सामान्य अनुभाग जिला कार्यालय - प्रभारी कार्मिक
2.	श्री जयदीप सिंह, सूचना सहायक, रा०वी० एवं प्रा० निधि विभाग, भीलवाड़ा
3.	श्री ओम प्रकाश डाड, कनि० सहा०, जिला शिक्षा अधि० मा० मुख्या, भीलवाड़ा


सूचना संकलन, प्रेषण के उक्त कार्य से श्री जयदीप सिंह सूचना सहायक की ड्यूटी उपखण्ड कार्यालय भीलवाड़ा में होने से तथा श्री ओम प्रकाश डाड, कनि० सहायक को सर्व प्रकोष्ठ में नियुक्त करने से इनकी ड्यूटी तत्काल प्रभाव से हटाई जाती है तथा प्रभारी कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल उक्त कार्य सम्पादित करावे।

आदेश की अक्षरशः एवं समय पर पालना सुनिश्चित की जावे।


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
2. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
5. श्री सत्यप्रकाश गौड़, वरि० सहा०, सामान्य अनुभाग जिला कार्यालय - प्रभारी कार्मिक
6. सर्व संबंधित
7. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा